प्रेस विज्ञप्ति

वर्तमान में विश्व भर में कोरोना वायरस से संक्रमण का प्रकोप फैला हुआ है जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। राजस्थान राज्य में भी कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ मरीज पाये गये है एवं आगामी आने वाले समय में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जन साधारण को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है।

राज्य सरकार द्वारा COVID-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं एवं इसके साथ ही भविष्य में संक्रमण अंन्य लोगों में बढने की सम्भावना को ध्यान मे रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाऐं भी की जा रही हैं। वर्तमान में राज्य में स्थिति नियंत्रण में हैं, परंतु कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या में निकट भविष्य में बढोतरी संभावित हैं। संक्रमण बढने की संभावना के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर उपलब्ध उपचार की सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाऐं भी पूर्व में ही तैयार रखना आवश्यक हैं। इस संबध में राज्य के समस्त निजी चिकित्सालयों के संचालकों,सोसायटी या ट्रस्ट द्वारा चलाये जा रहे है निजी चिकित्सालयों तथा अन्य निजी चिकित्सालयों से अपील की जाती है कि COVID-19 संक्रमित मरीजों के ईलाज हेतु वे अपने चिकित्सालय को आंशिक/पूर्ण रूपेण उपलब्ध कराने की सहमति देवें।

इसके साथ ही निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ से भी अपील की जाती है कि इस संकट की स्थिति से निपटने के लिये अपनी सेवाऐं देने हेतु सहमति प्रदान करें।

निजी चिकित्सालयों तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ इस संबध में अपनी सूचना उपलब्ध कराने हेतु विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर दो पृथक गूगल लिंक दिये गये है, इन पर अपनी सूचना भरें।

राज्य सरकार आपसे अपेक्षा करती है कि इस कार्य को राष्ट्र हित में सर्वोपरि मानते हुए राज्य के समस्त निजी चिकित्सालय एवं निजी चिकित्सा क्षेत्र के कार्मिक सहर्ष अपनी सेवाऐं देने के लिये तत्पर रहेगें।

Scanned with CamScanner